सेवा में ,

महामहिम राज्यपाल महोदय ,
हिमाचल प्रदेश शिमला –2.

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ,
हिमाचल प्रदेश सरकार ,
शिमला –2

माननीय शिक्षामन्त्री महोदय ,
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला –2

माननीय जिलाधीश महोदय ,
शिमला जिला शिमला ।

निर्देशक
उच्च शिक्षा ,
शिमला ,हिमाचल प्रदेश

विषय <u>निजी स्कूलों द्वारा न तो फीस की जानकारी देते , न ही फीस कम करते, ताजी खबर फोन पर अविभावकों व बच्चों को दी जा रही है कि फीस बढ़ा दी गई है , वास्ते रोके जाने प्रस्ताव प्रेषित है।</u>

मान्यवर ,

यह कि जनवरी 2019 को उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी किये गये है कि सभी निजी विद्यालय फीस का ब्यौरा दें कि कितनी – कितनी फीस ली जाती है ,साथ ही निर्देश भी जारी किये गये कि अविभावकों से किसी भी प्रकार के अन्य फण्ड बार– बार न वसूले जाये । यह आदेश सभी शिक्षा उप निदेशकों को जारी किये जा चुके है लेकिन नव वर्ष में किसी भी इन आदेशों का पालन नही किया गया है ।

-1-

मान्यवर , सन 1997 में निजी स्कूलों की मनमर्जी को रोकने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी शिक्षण (नियामक) अधिनियम बनाया था परन्तु शिक्षा विभाग व सरकार इसे लागू करने में असफल रही है ।अब गत दिसम्बर से इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिये सभी उप–निर्देशकों को निर्देश जारी किये गये हैं ।

-2-

यह कि अविभावक व अन्य संस्थाओं ने भारी विरोध प्रर्दशन भी किया , इसके बावजूद भी स्कूल प्रबन्धन की ओर से बच्चे निकालने की धमकियां भी दी गई ।

-3-

यह कि अप्रैल 2016 में माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिवों को आदेश दिये कि वे एक कमेटी का गठन करे जो तीन माह के भीतर जांच पूरी करे ।यह कमेटी मूलभूत सुविधाओं , मान्यता और मनमाने ढंग से वसूली जा रही फीस की जांच करेगी ।माननीय न्यायधीश तरलोक सिंह चौहान ने अपने आदेशों में कहा कि यह कमेटी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे । न्यायालय ने साफ किया कि यदि इन आदेशों की अवहलेना की जाती है तो अवमानना का केस चलाया जायेगा। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिये कि वह न्यायालय के आगामी आदेशों तक यह सुनिश्चित करे कि कोई भी निजि शिक्षण संस्थान बिल्डिंग फण्ड , आधारभूत ढांचा फण्ड , विकास फण्ड आदि से जुड़ी फीस वसूल न करे ।साथ ही न्यायालय ने गहरी आपत्ति प्रकट करते हुये कि निजी शिक्षण संस्थान धड़ले से चल

-4-

Sh. Jain
31/1/19

रहे हैं , नाजायज फीस वसूली से अपने संसाधन बढ़ा रहे हैं , शिक्षा का स्तर गिराते हुये व्यवसायिक बना दिया गया है । हर शिक्षण संस्थान की जबावदेही है तथा कानून से उपर कोई भी नही है । कानून लोगों को राहत दिलाना चाहता है लेकिन सरकार की लापरवाही से अविभावकगण व्यर्थ में ही पीसे जा रहे हैं ।

-5- यह कि अविभावक चाहते हैं कि अभी स्कूल खुलने से पहले सभी निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों व प्रबन्धन समितियों को निर्देश दिये जाये कि वह किसी भी प्रकार का फण्ड व फीस बढ़ौतरी का काम न करें न ही बस किराया बढ़ाया जाये ।

-6- यह कि फीस की स्पष्ट जानकारी फीस पुस्तिका पर दर्शाई जाये ।

-7- यही नही , अविभावकों की ऐसी रिपार्ट भी मिल रही है कि किसी – किसी विद्यालय में बच्चों का वर्गीकरण किया जा रहा है अर्थात एक होशियार वर्ग व एक नालायक वर्ग इस प्रकार के वर्गीकरण से बच्चा हीनता की ओर जायेगा तथा दिन –प्रतिदिन पढाई भी नही करेगा, क्योंकि उनकी ओर अध्यापकों का ध्यान कम रहेगा यह बच्चों के अधिकार व मानवीय मूल्यों तथा मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है ।यह तो नया ही तरीका अपनाया गया है ।जबकि पूरे संसार के स्कूलों में कुशाग्र बुद्धि व मन्द बुद्धि के सभी विद्यार्थियों को एक साथ कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

-8- यह कि विद्यालयों मे ट्यूशन का रोग भी बहुत भयानक लग चुका है , जिस विषय का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाता है , उसकी ट्यूशन उन्हीं बच्चों को भी दी जा रही है । यदि वही अध्यापक अतिरिक्त समय निकाल कर बच्चों को पढाये जैसा कि आज से पहले के अध्यापक भी किया करते थे , तथा यह नैतिक कार्य हुआ करता था।

-9- यह कि फीस का जो पैमाना है उसे सरकार और न्यायालय तय करे कि कितनी फीस उचित है । यदि 28 फरवरी 2019 तक निरीक्षण न हुआ तो मजबूर अविभावकों का आन्दोलन जोरों पर होगा जिससे बच्चों व अविभावकों का समय नष्ट होगा ।

-10- यह कि एस0आई0टी0 कब गठित की जायेगी जब फीस बढ़ा दी जायेगी, साथ में वर्दी मे किसी प्रकार का फेर बदल न किया जाये , प्रायः देखा जा रहा है कि कुछ विद्यालय वर्दी के लिये विशेष दुकानों पर भेजते है या तो वे दुकाने स्कूल अध्यापकों या प्रबन्धन समिति के सदस्यों की होगी या विद्यालय को कोई कमीशन मिलती होगी ।कुछ ऐसे विद्यालय है जो अविभावकों व शिक्षकों की कोई मिटिंग नही करवाते ।

-11- महोदय निजी शिक्षण संस्थान में शिक्षक कम वेतन पर रखे जा रहे हैं तथा कम योग्यता वाले रखे जा रहे जिससे बच्चों का भविष्य दांव पर लग रहा है ,यह एक बहुत बड़ा अन्याय है की माता – पिता स्कूल अपनी गाढ़ी कमाई से स्कूल प्रबन्धन को भारी फीस अदा कर रहे ,तथा डर – डर के बच्चों को स्कूल में रखे हुये है ।

-12- अतः मान्यवर महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि इस संवेदनशील मामलें में शिघ्र अति शिघ्र कार्यवाही व संज्ञान लिया जा कर प्रभावित अविभावकों को कृतार्थ करें।

दिनांक

30/1/19

भवदीय

द्वारा अविभावकगण
हरि सिंह पवार
अधिवक्ता , जिला न्यायालय शिमला
फोन नम्बर :86279–27940